an>

Title: Need to review the Land Management Policy of Cantonment areas in the Country .

श्री राजेन्द्र अग्रवाल (मेरठ): उपाध्यक्ष जी, छावनी परिÂादों में रह रहे नागरिकों की समस्याओं की ओरसदन का ध्यान आकर्Âिात करना चाहता हूं। छावनी क्षेत्रों में नागरिकों की निजी सम्पतियां मौजूद हैं जो अंग्रेजी शासन काल में ओल्ड ग्रांट या लीज़ की शर्तों पर होती थी तथा छावनी अधिनियम 1924 के अंतर्गत लोगों को अपने मकान या दुकान के नक्शे पास कराने या उन पर अपना नाम चढ़वाने में कोई समस्या नहीं आती थी। यहां तक कि मूल मालिक की मृत्यु हो जाने पर उसके वंशजों के नाम अलग-अलग चढ़ा दिए जाते थे और सब्सीडियरी सर्वे नम्बर अलग कर दिए जाते थे। स्वतंत्रता के बाद भी यह व्यवस्था ठीक ढंग से चल रही थी। परंतु दिनांक 23.03.1968 को सरकार द्वारा देश में छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जारी करके संपतियों के अलग सर्वे नंबर देने, नाम चढ़ाने, नक्शे पास करने तथा बेचने या गिरवी रखने की अनुमति देने पर रोक लगा दी और इस संबंध में छावनी बोर्डों के अधिकार समाप्त कर दिए गए। नतीजा यह निकला कि अनावश्यक मुकद्मे पैदा हो गए। लोग अपने बढ़ते हुए परिवार की आवश्यकता को पूरी करने के लिए अवैध निर्माण कर लेते हैं जिस के कारण छावनी बोर्डों में भ्रÂाटाचार को भी बढ़ावा मिल रहा है।

छावनी क्षेत्रों की भूमि नीति जो अंतिम बार दिनांक 09.02.1995 में संशोधित हुई थी, संसद द्वारा पारित छावनी अधिनियम, 2006 के पूरी तरह विरोधाभासी है इसलिए मेरा आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि छावनी क्षेत्रों की भूमि प्रबंधन नीति, 1995 पर तुरंत पुनः विचार कर इसे सुसंगत, व्यावहारिक एवं जनोपयोगी बनाया जाए, जिससे आम नागरिकों को समस्याओं से मुक्ति मिल सके, छावनी बोर्डों के अनावश्यक मुकदमे समाप्त हों, उनकी राजस्व आय में वृद्धि हो तथा विकास कार्यों को भी गति मिल सके।

HON. DEPUTY SPEAKER : Shri Bhairon Prasad Mishra is permitted to associate with the issue raised by Shri Rajendra Agrawal.